दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/अनापत्ति/2016/020 दिनांक :29/2, 2016

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांकः 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्त पोषितयोजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की अध्यक्षता में कार्यालय–ज्ञाप संख्याः लो0अ0वि0/सम्ब0/2012/5212 दिनांकः 02.09.2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री विनायक महाविद्यालय, समिति, खजुरहट, फैजाबाद द्वारा प्रस्तावित/पूर्व संचालित निम्नलिखित महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन बी0ए0 अतिरिक्त विषय, बी0एस–सी0 एवं एम0ए0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है शर्ते एवं विवरण निम्नवत है–

1 अ–संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम– श्री विनायक महाविद्यालय समिति, खजुरहट, फैजाबाद।
ब–पंजीकरण/नवीनीकरण तिथि– 20.09.2013
स–पंजीकरण वैधता तिथिः 18.09.2013 से पाँच वर्ष

2 अ–महाविद्यालय का नाम–श्री विनायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खजुरहट, फैजाबाद।
ब–पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम– बी0ए0, एम0ए0, बी0एड0, एम0एड0 व बी0पी0एड0
स–स्थायीकरण की स्थिति– बी0ए0, एम0ए0, बी0एड0, एम0एड0 व बी0पी0एड0

3. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतुः–स्नातक/परास्नातक

4. अ–अनापत्ति से सम्बन्धित संकायः– कला एवं विज्ञान संकाय।
ब–अनापत्ति से सम्बन्धित विषयः– स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, समाजकार्य, शारीरिक शिक्षा अतिरिक्त विषय एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों तथा परास्नातक स्तर पर– भूगोल।

5. इस अनापत्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम–खजुरहट, परगना–पश्चिम राठ, तहसील–बीकापुर, जिला– फैजाबाद की गाटा संख्या 633/1.574, 666/0.076, 665मि0/0.390हे0 कुल 03 किता रकबा 2.0400 हे0 पर राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

6. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति–उपलब्ध है।

7. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्वता रू0 100/–(रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।

प्रबन्धक
श्री विनायक महाविद्यालय
खजुरहट-फैजाबाद (उ0प्र0)

8. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।

9. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः–3075/ सत्तर–2–2002–2(0166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

10. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ0प्र0 शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।

11. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

12 राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

13. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्ही अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

/

उप कुलसचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, श्री विनायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खजुरहट, फैजाबाद।

प्रबन्धक
श्री विनायक महाविद्यालय
खजुरहट-फैजाबाद (उ०प्र०)

उप कुलसचिव